अत्यन्त महत्वपूण/सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/ई0मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः- 4763 /19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित योजना)/2019-20 दिनांकः- 27.01.2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) नाबार्ड वित्तपोषित कार्यो में खण्डों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत वित्तीय प्रगति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनु0सं0-22,ले0शी0- 505404337980124 (पूँजीगत) नाबार्ड वित्तपोषित कार्यो (आर0आई0वी0एफ016 से 24 में अनुमोदित कार्य) हेतु इस कार्यालय स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को अब तक कुल ₹ 298.43 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष निम्नवर्णित खण्डों के द्वारा माह 12/2019 तक 40% से कम अर्थात् अत्यन्त न्यूनतम वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में खण्ड के द्वारा सूचित मॉग	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन	माह 12/2019 तक व्यय	व्यय%	खण्ड स्तर पर व्यय हेतु अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रा0ख0 देहरादून	718.45	718.45	228.11	32 %	490.34
2	नि0ख0 रूड़की	210.51	210.51	63.47	30%	147.04
3	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	388.82	388.82	142.31	37%	246.51
4	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	265.38	265.38	91.94	35%	173.44
5	प्रा0ख0 नई टिहरी	1564.15	1564.15	617.24	39%	946.91
6	नि0ख0 गैरसैण	94.02	94.02	28.95	31%	65.07
7	नि0ख0 गौचर	764.00	764.00	263.01	34%	500.99
8	नि0ख0 पोखरी	179.00	179.00	63.07	35%	115.93
9	प्रा0ख0 रूद्रप्रयाग	554.02	554.02	215.94	39%	338.08
10	नि0ख0 ऊखीमठ	214.59	214.59	6.49	3%	208.10
11	नि0ख0 पौड़ी	106.22	106.22	34.95	33%	71.27
12	नि0ख0 श्रीनगर	357.07	357.07	126.79	36%	230.28
13	प्रा0ख0 रानीखेत	1306.77	1306.77	442.51	34%	864.26
14	नि0ख0 रानीखेत	1174.28	1174.28	306.80	26%	867.48
15	प्रा0ख0 बागेश्वर	651.51	651.51	241.68	37%	409.83
16	प्रा0ख0 डीडीहाट	591.77	591.77	212.08	36%	379.69
17	नि0ख0 अस्कोट	1411.63	1411.63	416.34	29%	995.29
18	प्रा0ख0 नैनीताल	151.01	151.01	0.00	0%	151.01
19	अ0ख0 भवाली	158.33	158.33	27.98	18%	130.35
20	नि0ख0 खटीमा	811.44	811.44	330.37	40%	481.07
	योग, (क्र.सं. 1 से 20 तक)	11672.97	11672.97	3860.03		7812.94

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में यह भी अवगत कराना है कि यह योजना नाबार्ड वित्तपोषित होने के कारण योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किये जाने के लिए शासन स्तर से निरन्तर दिशा-निर्देश प्राप्त होने के साथ-साथ शासनस्तर पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा भी निरन्तर की जा रही है तथा चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से ₹ 315.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने का लक्ष्य विभाग को प्रदान किया गया है, जो कि योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध बजट प्राविधान ₹ 360.00 करोड़ का शत-प्रतिशत व्यय माह फरवरी, 2020 तक किये जाने पर ही सम्भव है, इसी के दृष्टिगत खण्डों के द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित मॉग (तालिका के "स्तम्भ-3" में दर्शित) के सापेक्ष इस कार्यालय स्तर से खण्डों को आवश्यक धनराशि (तालिका के "स्तम्भ-4" में दर्शित) माह मई, 2019 एवं अक्टूबर, 2019 में पूर्णतः आवंटित की जा चुकी थी तथा आवंटित धनराशि को उच्च प्राथमिकता के आधार पर एवं माह फरवरी, 2020 तक शत-प्रतिशत व्यय किये जाने के दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं को पूर्व में भी समय-समय पर निर्गत किये गये है।

27.1.2020

(क्रमशः पृष्ठ-2 पर)

माह जनवरी, 2020 के प्रथम सप्ताह में इस कार्यालय स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में भी नाबार्ड योजना के अन्तर्गत खण्डों के द्वारा कम वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्राप्त किये जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं से योजना में निर्माणाधीन कार्यो की गहन समीक्षा किये जाने तथा कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तात्कालिकता के आधार पर बढ़ाये जाने एवं योजनान्तर्ग आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में माह फरवरी, 2020 तक पूर्णतः व्यय किये जाने के समुचित दिशा–निर्देश बैठक में प्रदान किये जाने के उपरांत भी उपरोक्तानुसार वर्णित 20 खण्डों के द्वारा योजनान्तर्गत अपेक्षित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्राप्त न किया जाना अत्यन्त असन्तोषजनक होने के साथ–साथ गंभीर वित्तीय अनुशासनहीनता एवं राजकीय कार्यो के समयबद्ध क्रियान्वयन में घोर उदासीनता बरतने का प्रतीक है।

अतः योजनान्तर्गत अत्यन्त कम वित्तीय प्रगति प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को कडी चेतावनी प्रदान किये जाने के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभी तक योजनान्तर्गत अत्यन्त कम वित्तीय प्रगति प्राप्त किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण, अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से प्राप्त करते हुए, दिनांक 05.02.2020 से पूर्व प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। योजनान्तर्गत खण्डों की कम वित्तीय प्रगति प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं के स्तर से अब तक किये गये प्रयासों यथाः कार्यो की समीक्षा एवं निरीक्षण, कार्यो की प्रगति बढाने के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी तथा खण्डों को प्रदान किये गये आवश्यक तकनीकि/ कार्य सुझाव की प्रति भी संलग्न करते हुये अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है, ताकि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो की कम वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकें।

उक्त विषयक प्रकरण में पुनः अन्तिम रूप से कड़े दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है कि योजनान्तर्गत खण्डों को अब तक आवंटित की जा चुकी धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग सम्बन्धित खण्डों के द्वारा माह फरवरी, 2020 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जाए तथा आवंटित धनराशि किसी भी दशा में समर्पित न की जाय, यदि किसी खण्ड के द्वारा अब तक प्राप्त आवंटन के सापेक्ष बचत सूचित की जाती है अथवा धनराशि का समर्पण प्रस्तावित किया जाता है, तो सूचित बचत/प्रस्तावित समर्पण इस कार्यालय के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जायेगा तथा वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण आवंटित धनराशि व्यय न होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगें।

प्रकरण, अत्यन्त महत्वपूर्ण, समयबद्ध एवं शासन की उच्चप्राथमिकता में सम्मिलित है, अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित पैरा–04 एवं 05 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार तात्कालिक एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए वॉछित स्पष्टीकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता की निरीक्षण टिप्पणी, निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी दिशा–निर्देशित करने का कष्ट करें तथा क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन नाबार्ड कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा स्वयं के स्तर से भी सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष की शेष कार्यावधि में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो की वित्तीय व भौतिक प्रगति युद्धस्तर पर बढायी जाय।

भवदीय,
27/01/2020

(इं0 हरिओम शर्मा),
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, स्तर–। (नियोजन/तकनीकि प्रकोष्ठ), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन (नाबार्ड कार्य), कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

27/01/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार निहित दिशा–निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन तथा वॉछित सूचनाएं निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....................................वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

27/01/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून